## न्यायालयः— विशेष न्यायाधीश (डकैती), गोहद, जिला भिण्ड (मध्य प्रदेश) (समक्षः एच०के० कौशिक)

1

विशेष डकैती प्रकरण क्रमांकः 25 / 2015 संस्थित दिनांक—09 / 10 / 2009 फाईलिंग नंबर—230303002742009

मध्य प्रदेश राज्य द्वारा— आरक्षी केन्द्र मालनपुर, जिला—भिण्ड (म०प्र०) ————<u>अभियोजन</u>

वि रू द्ध

गंधर्व सिंह पिता भूखन उर्फ भीखाराम किरार, उम्र–29 साल, निवासी मुरैना गांव, थाना – सिविल लाईन जिला मुरैना(म0प्र0)

-–अभियुक्त

राज्य द्वारा विशेष लोक अभियोजक – श्री भगवान सिंह बघेल । अभियुक्त गंधर्व सिंह द्वारा अभिभाषक – श्री के.सी. उपाध्याय।

**–::–** <u>निर्णय</u> –::–

## —..— <u>।**नणच**</u> —::— (आज दिनांक 02—7—2018 को घोषित)

- 1. प्रकरण में अभियुक्त गंधर्व सिंह के विरूद्ध धारा 147, 392 / 398 सहपिटत धारा 149 एवं धारा 11,13 एम0पी0डी0व्ही0पी0के0 एक्ट के अंतर्गत आरोप है कि उसने दिनांक—23 / 03 / 2009 के दोपहर करीब 1:30 बजे ए०व्ही0एन० टयूब फैक्ट्री के सामने भिण्ड—ग्वालियर आम रोड, मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्ध जमाव का गठन कर, सह अभियुक्तगण के साथ मिलकर आहतगण मुकेश, रिंकू व अमित से लूट करने का सामान्य उद्देश्य निर्मित किया जिसकी पूर्ति में बल एवं हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित करते हुए सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव का सदस्य रहते हुए फरियादी मुकेश सिंह चौहान, उसके भाई अमित सिंह एवं चालक रिंकू भदौरिया को आग्नेयास्त्र कट्टा से तत्काल मृत्यु या घोर उपहित के भय में डालकर उनसे टवेरा गाड़ी क्रमांक—एम.पी.—41 डी.0478 कीमती करीब दो लाख रूपये की लूट कारित की ।
- 2. प्रकरण में यह स्वीकृत तथ्य है कि घटना दिनांक को राजस्व जिला भिण्ड में म.प्र. डकैती एवं व्यपहरण प्रभावित क्षेत्र अधिनियम 1981 प्रभावशील था तथा सहअभियुक्तगण अवधेश, सतीश उर्फ भूरा, सोनू, संजू पचौरी एवं महावीर

उर्फ अवनीश को निर्णय दिनांक 09 अक्टूबर, 2015 के अनुसार दोषमुक्त किया गया है।

- 3. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस प्रकार है कि दिनांक—23/05/2009 को फरियादी मुकेश सिंह चौहान, छोटे भाई अमित चौहान एवं चालक रिन्कू भदौरिया के साथ उसकी टवेरा गाड़ी से ग्वालियर से भिण्ड जा रहा था। डी.डी. नगर गेट पर एक पुरूष एवं महिला द्वारा रास्ते में छोड़ने का निवेदन करने पर उन्हें वाहन में बैठा लिया। मालनपुर ए.ब्ही.एन. टयूब्स फैक्ट्री पर पहुंचे तो महिला द्वारा उल्टी आना बताने पर गाड़ी रोक दी, तभी पीछे से दो मोटर साइकिल पर चार लड़के आये और उसकी गाड़ी के आगे मोटर सायिकल से उतरकर दो लडकों ने कट्टा निकालकर उसे व चालक रिंकू को कट्टा दिखाकर गाड़ी से उतार दिया तथा गाड़ी कों उक्त दोनों लड़के व पूर्व में बैठा पुरूष व महिला रिटौर रोड पर ले गये, शेष दोनों लड़के पल्सर मोटर सायिकल से वाहन के आगे—आगे चले गये। उक्त लडकों को वह, भाई तथा चालक सामने आने पर पहचान लेंगे। उसकी गाड़ी का नंबर—एम.पी.—41—डी.0478 है।
- 4. फरियादी मुकेश सिंह चौहान द्वारा घटना के संबंध में लिखित आवेदनपत्र प्रदर्श पी—1 थाना मालनपुर में दिये जाने पर पुलिस थाना मालनपुर ने अज्ञात अभियुक्तगण के विरूद्ध अपराध कमांक—77/09 धारा—392 भा०द०वि० धारा—11, 13 डकैती अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 पंजीबद्ध की तथा विवेचना के दौरान नक्शामौका बनाने, साक्षियों के कथन लेने, अभियुक्तगण की गिरफ्तारी, वाहन की जब्त करने व शेष आवश्यक अनुसंधान उपरान्त अभियुक्त गंधर्व सिंह व सहअभियुक्तगण के विरूद्ध अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया।
- 5. अभियोग पत्र एवं सलग्न प्रपत्रों के आधार पर मेरे पूर्व अधिकारी द्वारा अभियुक्त गंधर्व सिंह के विरूद्ध के विरूद्ध धारा 147, 392/398 सहपिठत धारा 149 भा.दं.सं. एवं धारा—11, 13 एम०पी०डी०व्ही० पी०के० एक्ट के अंतर्गत आरोप विरचित कर सुनाये जाने पर उसने आरोप अस्वीकार करते हुए विचारण चाहना प्रकट किया तथा धारा 313 दं.प्र.सं. के अंतर्गत परीक्षण के दौरान उसे रंजिशवश झूटा फंसाया जाना प्रकटा किया, किन्तु अभियुक्त की ओर से कोई बचाव साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 6. प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय प्रश्न यह है कि :-
  - 1— क्या अभियुक्त गंधर्व सिंह ने दिनांक—23/03/2009 के दोपहर करीब 1:30 बजे ए0ब्ही0एन0 टयूब फैक्ट्री के सामने, भिण्ड—ग्वालियर आम रोड, मालनपुर जिला भिण्ड के डकैती प्रभावित क्षेत्र में सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्व जमाव का गठन कर फरियादी मुकेश सिंह, उसके भाई अमित सिंह एवं चालक रिन्कू भदौरिया से लूट कारित करने का सामान्य उददेश्य निर्मित किया ?

2— क्या, अभियुक्त गंधर्व सिंह द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सह—अभियुक्तगण के साथ मिलकर विधि विरूद्व जमाव का गठन कर बल या हिंसा का प्रयोग कर बलवा कारित किया ?

3

3— क्या, अभियुक्त गंधर्व सिंह द्वारा उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर सहअभियुक्तगण के साथ मिलकर उक्त विधि विरूद्ध जमाव के सदस्य रहते हुए उस जमाव के सामान्य उददेश्य की पूर्ति में फरियादी मुकेश चौहान, भाई अमित एवं चालक रिंकू भदौरिया को आग्नेयास्त्र कट्टा से तत्काल मृत्यु या घोर उपहति के भय में डालकर उनसे टवेरा गाड़ी कमांक—एम.पी.—41 डी.0478 कीमती करीब दो लाख रूपये की लूट कारित की ?

## -::-निष्कर्ष के आधार :-

## विचारणीय प्रश्न कमांक-01 लगायत 03 का निराकरण

- 7. उक्त तीनों विचारणीय बिन्दुओं का सुविधा की दृष्टि एवं साक्ष्य के विश्लेषण में पुनरावृत्ति न हो इसलिए एक साथ विश्लेषण एवं निराकरण किया जा रहा है ।
- 8. अभियोजन की ओर से प्रकरण में मुकेश सिंह (अ०सा0–1), अमित सिंह (अ०सा0–2), विजय सिंह उर्फ रिंकू (अ०सा0–3), मातादीन (अ०सा0–4) गोविंद सिंह (अ०सा05), रायसिंह (अ०सा0–6), टी.आई. आत्माराम शर्मा (अ०सा0–7), आलोक तिवारी (अ०सा0–8), मुन्ना उर्फ रामप्रकाश (अ०सा0–9), उप निरीक्षक आर.सी. पाठक (अ०सा0–10), प्र.आर. राजवीर सिंह (अ०सा0–11), तथा दिलीप सिवता (अ०सा0–12), की साक्ष्य कराई है तथा अभियोजन की ओर से प्रदर्श पी–1 लगायत—प्रदर्श पी–13 के दस्तावेज प्रदर्शित कराये गये हैं। साक्ष्य के दौरान जो दस्तावेज प्रदर्शित हुए हैं उनमें मानवीय या टंकणीय भूल से प्रदर्श पी–1 के रूप में लेखीय रिपोर्ट एवं गंधर्व सिंह का गिरफतारी पंचनामा कथनों में लिख गया है इसिलये गंधर्व सिंह के गिरफतारी पंचनामा को प्रदर्श पी–10 के रूप में पढ़ा जा रहा है।
- 9. प्रकरण में परीक्षित साक्षियों में से घटना के सर्वाधिक महत्व के साक्षी फिरयादी व रिपोर्ट कर्ता मुकेश सिंह चौहान अ.सा.—1, उसका भाई अमित चौहान अ.सा.—2 तथा उसका चालक विजय उर्फ रिंकू अ.सा.—3 हैं। इसलिये उनके अभिसाक्ष्य का सर्वप्रथम मूल्यांकन करना उचित होगा । मुकेश सिंह अ.सा.—1 का कहना है कि घटना दिनांक को वह छोटे भाई अमित एवं चालक रिन्कू के साथ टवेरा गाड़ी से ग्वालियर से भिण्ड जा रहे थे, दीनदयाल नगर के गेट के

पास एक लड़की और लड़के द्वारा लिफ्ट मांगने पर उन्होंने गाड़ी में बैठा लिया। मालनपुर में एम.पी. आयरन फैक्ट्री के सामने उस लड़की द्वारा उल्टी आना बताने पर उन्होंने गाड़ी रोकी, तभी दो मोटर सायिकल पर कपड़े से मुंह बांधे हुए चार लड़के दो मोटर सायिकल पर आये और उन्होंने कट्टे आदि जैसे हिथयार दिखाकर टबेरा गाड़ी कमांक एम.पी.41–0478 लूट ली, जिसका समर्थन अमित सिंह अ.सा.–2 तथा विजय सिंह उर्फ रिन्कू अ.सा.–3 द्वारा भी किया गया है।

- 10. फरियादी मुकेश सिंह अ.सा.—1 का कहना है कि घटना के संबंध में उसने थाने पर प्रदर्श पी—1 का लिखित आवेदन दिया था जिसके आधार पर पुलिस ने प्रदर्श पी—2 की प्रथम सूचना रिपोर्ट लेखबद्ध की थी जिन पर ए से ए भाग के मध्य उसके हस्ताक्षर हैं। आत्माराम शर्मा अ.सा.—7 द्वारा समर्थित कथन में व्यक्त किया गया है कि घटना दिनांक 23—5—09 को थाना मालनपुर में निरीक्षक के पद पर पदस्थ था। फरियादी मुकेश चौहान द्वारा दिये गये आवेदन पत्र प्रदर्श पी—1 के आधार पर उसने अपराध क्रमांक 77 / 09 अंतर्गत धारा 392 भा.दं.सं. एवं धारा 11 सहपठित 13 डकैती अधिनियम की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्रदर्श पी—2 पंजीबद्ध की थी। साक्षी का यह भी कहना है कि अनुसंधान के दौरान उसने घटनास्थल पर जाकर प्रदर्श पी—3 का नक्शामौका बनाया था, जिसकी पुष्टि फरियादी मुकेश सिंह अ.सा.—1 द्वारा की गयी है।
- 11. अनुसंधानकर्ता आत्माराम शर्मा अ.सा.—7 का कहना है कि उसने अभियुक्त गंधर्व सिंह को प्रदर्श पी—10 के गिर्फ्तारी पंचनामा अनुसार गिरफ्तार किया था तथा अभियुक्त गंधवसिंह ने प्रदर्श पी—11 के सूचना मैमोरेण्डम अनुसार अपराध में प्रयुक्त कट्टा पुलिस चौकी मगरौल जिला दितया द्वारा जब्त होना बताया था। अभियुक्त गंधर्व सिंह की गिरफ्तारी का समर्थन आलोक तिवारी अ.सा.—8 द्वारा भी किया गया है तथा दिलीप सिवता अ.सा.—12 द्वारा उसके समक्ष गंधर्व सिंह द्वारा घटना में प्रयुक्त कट्टे को पुलिस चौकी मगरौल जिला दितया द्वारा जब्त करना बताये जाने के कथन की पुष्टि की है, किन्तु अभियोजन पक्ष की ओर से पुलिस चौकी मगरौल जिला दितया द्वारा कथित रूप से कट्टा जब्त किये जाने संबंधी दस्तावेज की प्रतिलिपि प्रस्तुत नहीं की गयी है।
- 12. प्रकरण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है कि स्वयं फरियादी मुकेश सिंह अ.सा.

  —1 , उसके भाई अमित सिंह अ.सा.—2 तथा साथ रहे चालक विजय सिंह उर्फ रिन्कू अ.सा.—3 ने प्रतिपरीक्षण में स्वीकार किया है कि अभियुक्त गंधर्व सिंह ने कोई घटना कारित नहीं की थी। मुकेश सिंह अ.सा.—1 का यह भी कहना है कि अभियुक्त गंधर्व सिंह घटना के समय उपस्थित भी नहीं था। अतः ऐसी स्थिति में मात्र गिरफ्तारी एवं कथित सूचना मैमोरेण्डम के आधार पर अभियोजन के मामले को अभियुक्त गंधर्व सिंह के संदर्भ में भी युक्तियुक्त संदेह से परे प्रमाणित होना नहीं पाया जाता है।
- 13. फलतः उपरोक्त संपूर्ण साक्ष्य के विष्लेषण एवं मामले के तथ्य एवं

परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में अभियोजन उसके मामले को संदेह से परे प्रमाणित करने में सफल नहीं रहा है। फलतः अभियुक्त गंधर्व सिंह को धारा 147,

के आरोप से दोषमुक्त करता हूँ।

14. अभियुक्त गंधर्व सिंह द्वारा कारागार में बितायी गयी समयावधि के संबंध में दं.प्र.सं. की धारा 428 के अनुसार प्रमाण—पत्र तैयार किया जावे।

392 / 398 सहपठित 149 भा.दं.सं. एवं धारा 11,13 एम.पी.डी.व्ही.पी.के. अधिनियम

- 15. अभियुक्त गंधर्व सिंह का कारागार गोहद से केवल जेल वारंट प्राप्त हुआ है। अतः जेल वारंट पर लाल स्याही से उसे इस प्रकरण में दोषमुक्त किये जाने की टीप अंकित करते हुए लिखा जावे कि किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसे अविलंब रिहा किया जावे।
- 16. प्रकरण में जब्तशुदा वाहन टवेरा पूर्व से फिरयादी की सुपुर्दगी में है, जिसमें हस्तक्षेप किये जाने का कोई कारण नहीं है। अतः अपील अविध पश्चात् उक्त सुपुर्दगीनामा भारमुक्त किया जावे।
- 17. निर्णय की एक प्रति दं.प्र.सं. की धारा 365 के प्रावधान अनुसार विशेष लोक अभियोजक के माध्यम से जिला दण्डाधिकारी भिण्ड को प्रेषित की जावे।

निर्णय हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर खुले न्यायालय में घोषित किया गया।

मेरे बोलने पर टंकित किया गया।

सही / – (एच0के० कौशिक) विशेष न्यायाधीश, डकैती,गोहद जिला—भिण्ड (म0प्र0)

सही / – (एच0के० कौशिक) विशेष न्यायाधीश, डकैती,गोहद जिला—भिण्ड (म0प्र0)